



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति



क्रमांक / एन.एच.एम / सं.वि / 2021 / 200


भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2021

## // आदेश //

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय में विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों / स्टोर प्रभारी के द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं के परीक्षण के लिये निम्नानुसार स्थायी कय समिति का गठन किया जाता है:-

I.	संचालक, एन.एच.एम	- अध्यक्ष
II.	उपसंचालक स्टोर	- सदस्य
III.	उपसंचालक वित्त	- सदस्य
IV.	राज्य कार्यक्रम प्रबंधक	- सदस्य
V.	सलाहकार प्रोक्योरमेंट (स्टोर)	- सदस्य
VI.	कार्यक्रम अधिकारी	- सदस्य
VII.	स्टोर प्रभारी	- सदस्य सचिव

2. मध्यप्रदेश भंडार कय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्तानुसार गठित समिति रु. 5.00 करोड तक की निविदाओं के लिये निविदाओं का परीक्षण कर प्राप्त निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। रु. 5.00 करोड से अधिक की निविदाओं के लिये संचालक, वित्त समिति में सदस्य होंगे।
3. संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा यदि निविदा जारी किया जाना प्रस्तावित है, तो निविदा में सम्मिलित किये जाने वाले आवश्यक तकनीकी बिन्दुओं का परीक्षण करने के लिये उक्त समिति में मिशन संचालक की अनुमति से एक या अधिक तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जा सकता है।
4. निविदा प्रपत्र से तैयार कराने एवं निविदा से संबंधित अन्य कार्य अनुबंधित पीएमयू केपीएमजी के द्वारा उन्हें प्रदाय कार्यादेश के आधार पर किया जायेगा।

  
(प्रियंका दास)  
मिशन संचालक  
एन.एच.एम

क्रमांक / एन.एच.एम / सं.वि / 2021 /  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22 / 09 / 2021

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ।
3. संचालक / संचालक वित्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
5. समस्त कार्यक्रम अधिकारी / उपसंचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल।
6. उपसंचालक, आई.टी की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।

  
मिशन संचालक